PRESS NOTE ON TARIFF ORDER FOR UP STATE DISCOMs FOR FY 2026-27

Dated: 02.07.2026

- ***UPERC declares Electricity Tariff Rates for State DISCOMs for FY 2026-27 in accordance with UPERC (Multi Year Tariff for Distribution) Regulations, 2025***
- ***Keeps the Tariff rates payable by all consumer categories unchanged for 7th consecutive year***
- ***Green Energy additional Tariff also remains unchanged Rs. 0.34 per unit for HV category consumers and Rs. 0.17 per unit for LV category consumers which is same as last year.***
- ***To promote EV charging infrastructure, Single part Tariff under LMV-11 made applicable to Battery Swapping Stations and Battery as a Service providers***
- ***TOD Tariff provided for LMV-11, Tariff during Solar Hours (9AM-4PM) to be 20% lower to promote battery charging during daytime and promote consumption of RE power***
- ***U.P. Govt has increased the subsidy budget from Rs 17,100 Cr last Year to 20,400 Cr in FY 2026-27***

The Tariff Order of 5 State Discoms comprising of True-up of FY 2024-25, Annual Performance Review (APR) of FY 2025-26 and Annual Revenue Requirement (ARR) of FY 2026-27 has been finalized by the UPERC after taking into consideration the objections, comments & suggestions of the stakeholders, public and the State Advisory Committee. Important features of the Tariff Order are as below:

True-up of 5 State Discoms for FY 2024-25

The consolidated Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2024-25 of the 5 State Discoms for purchase of 1,53,560.23 MUs, at Ex Bus, approved by the Commission is Rs. 91,215.02 Crore as against claim for purchase of 1,55,096.09 MUs for Annual Revenue Requirement (ARR) of Rs. 94,604.55 Crore. The Licensees claimed actual Distribution Losses of 13.71% whereas the Commission has approved Distribution Losses of 12.91% as the lower of the

actual Distribution Losses vis-à-vis the losses approved by the Commission in the Tariff Order dated November 22, 2025. The Commission has considered State Government subsidy as Rs. 19,791.87 Crore as received by the State Discoms from the State Government. The revenue from Tariff of Rs. 71,272.24 Crore (including deemed revenue) is determined by the Commission. Thus, Total Revenue from Tariff and Subsidy including deemed revenue has been approved by the Commission as Rs 91,064.11 Crore. As a result, there is a Gap of Rs. 150.90 Crore in the regulatory account for FY 2024-25.

ARR of 5 State Discoms for FY 2026-27

The Commission has approved the ARR of 5 State Discoms for FY 2026-27 in line with UPERC (Multi Year Tariff for Distribution) Regulations, 2025. The Commission has approved a consolidated Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2026-27 as Rs. 1,13,785.39 Crore for purchase of 1,72,612.11 MU, Ex Bus as against a projected Annual Revenue Requirement (ARR) of Rs. 1,18,741.89 Crore filed by State DISCOMs for purchase of 1,72,612.11 MU. The Commission has approved a consolidated Distribution Losses of 13.07% proposed by the State Discoms which is as per the trajectory prescribed by the Commission. A tariff subsidy of Rs. 20,400 Crore will be provided by the State Government. Besides Government subsidy, revenue from existing Tariff including deemed revenue of Rs. 90,805.84 Crore payable by consumers has been approved by the Commission. This leads to a total revenue earning of Rs 1,11,205.84 Crore for the UPPCL/ State Discoms. As a result of this there will be a Regulatory Gap of Rs. 2,579.56 Crore for FY 2026-27 for the State Discoms. However, considering that there is a projected accumulated Regulatory Surplus of Rs 11,602.24 Crore as on 01.04.2026 with UPPCL/DISCOMs, **Commission has therefore not found any justification for increase in tariff rates for FY 2026-27.**

Other Salient features of Tariff Order for FY 2026-27:

1. U.P. Government to continue to provide subsidy for Lifeline Consumers (Rural and Urban), Rural Scheduled Metered Consumers and Private Tubewells at the same level as previous year. However, the subsidy support has been increased from Rs 17,100 Crore last year to Rs 20,400 Crore in FY 2026-27.
2. TOD time periods for LMV-6 and HV-2 category continue to remain the same as last year.

3. Cross Subsidy Surcharge of Open Access Consumers have been further rationalised and reduced for some categories.
4. Average Cost of Supply projected for FY 2026-27 is Rs. 7.96/ kWh whereas Average Billing Rate is projected to be Rs. 7.78/kWh.
5. Recognising the emerging business models of EV Public Charging Infrastructure, Commission has included Battery as a Service (BaaS) and Battery Swapping Stations as an eligible category for availing Single Part Tariff under LMV-11 category. Also to incentivise the use of charging infrastructure during daytime when the cheaper solar power can be consumed, Commission has introduced TOD Tariff structure for LMV-11 by providing a rebate of 20% during solar hours (from 9AM-4PM). The Commission expects that this rebate will be passed on to ultimate consumers by EV charging infra service providers.

The Tariff Orders shall be in force after seven days from the date of publication by the licensee in at least two Hindi and two English Daily newspapers.

All the Tariff Orders have been uploaded at www.uperc.org

Sumeet Kumar Agarwal

Secretary

Sumeet Kumar Agarwal
Secretary
U.P. Electricity Regulatory Commission
Vidyut Niyamak Bhawan
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य डिस्कॉम्स के टैरिफ आदेश पर प्रेस नोट

दिनांक: 02.07.2026

- ***यूपीईआरसी ने यूपीईआरसी (वितरण हेतु बहु-वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य डिस्कॉम्स हेतु विद्युत टैरिफ दरों की घोषणा की***
- ***लगातार 7वें वर्ष सभी उपभोक्ता श्रेणियों द्वारा देय दरों को अपरिवर्तित रखा गया***
- ***ग्रीन एनर्जी अतिरिक्त टैरिफ भी अपरिवर्तित रखा गया - एचवी श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए रु. 0.34 प्रति यूनिट और एलवी श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए रु. 0.17 प्रति यूनिट, जो गत वर्ष के समान है***
- ***ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु, बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों और बैटरी ऐज ए सर्विस प्रदाताओं पर एलएमवी-11 के अंतर्गत सिंगल पार्ट टैरिफ लागू किया गया***
- ***एलएमवी-11 हेतु टीओडी टैरिफ प्रदान किया गया, दिन में बैटरी चार्जिंग को बढ़ावा देने और आरई पावर की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे) के दौरान टैरिफ 20% कम रहेगा***
- ***उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी बजट गत वर्ष के रु. 17,100 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु. 20,400 करोड़ कर दिया है***

यूपीईआरसी द्वारा हितधारकों, जनता तथा राज्य सलाहकार समिति की आपत्तियों, टिप्पणियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात 5 राज्य डिस्कॉम्स के टैरिफ आदेश को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का ट्रू-अप, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) शामिल है। टैरिफ आदेश की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 5 राज्य डिस्कॉम्स का ट्रू-अप

आयोग द्वारा 1,53,560.23 एमयू (एक्स बस) की खरीद हेतु 5 राज्य डिस्कॉम्स की वित्तीय वर्ष 2024-25 की समेकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) रु. 91,215.02 करोड़ स्वीकृत की गई है, जबकि लाइसेंसधारियों द्वारा 1,55,096.09 एमयू की खरीद हेतु रु. 94,604.55 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का दावा किया गया था। लाइसेंसधारियों ने वास्तविक वितरण हानि 13.71% होने का दावा किया था, जबकि आयोग ने 22 नवंबर, 2025 के टैरिफ आदेश में स्वीकृत हानियों की तुलना में वास्तविक वितरण हानियों से भी कम, उसके अनुसार 12.91% वितरण हानि स्वीकृत की है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉम्स को प्रदत्त सब्सिडी को रु. 19,791.87 करोड़ माना है। आयोग द्वारा टैरिफ से राजस्व (डीम्ड राजस्व सहित) रु. 71,272.24 करोड़ निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, डीम्ड राजस्व सहित टैरिफ एवं सब्सिडी से कुल राजस्व आयोग द्वारा रु. 91,064.11 करोड़ स्वीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के रेगुलेटरी खाते में रु. 150.90 करोड़ का अंतर है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 5 राज्य डिस्कॉम्स की एआरआर

आयोग ने यूपीईआरसी (वितरण हेतु बहु-वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2025 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 5 राज्य डिस्कॉम्स की एआरआर स्वीकृत की है। आयोग ने 1,72,612.11 एमयू (एक्स बस) की खरीद हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 की समेकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) रु. 1,13,785.39 करोड़ स्वीकृत की है, जबकि राज्य डिस्कॉम्स द्वारा उसी 1,72,612.11 एमयू की खरीद हेतु रु. 1,18,741.89 करोड़ की प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल की गई थी। आयोग ने राज्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तावित 13.07% की समेकित वितरण हानि स्वीकृत की है, जो आयोग द्वारा निर्धारित ट्रेजेक्टरी के अनुरूप है। राज्य सरकार द्वारा रु. 20,400 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकारी सब्सिडी के अतिरिक्त, आयोग द्वारा उपभोक्ताओं से देय मौजूदा टैरिफ से राजस्व (डीम्ड राजस्व सहित) रु. 90,805.84 करोड़ स्वीकृत किया गया है। इससे यूपीपीसीएल/राज्य डिस्कॉम्स की कुल राजस्व आय रु. 1,11,205.84 करोड़ होती है। परिणामस्वरूप, राज्य डिस्कॉम्स हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रु. 2,579.56 करोड़ का रेगुलेटरी गैप होगा। तथापि, यह देखते हुए कि यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स के पास दिनांक 01.04.2026 को रु. 11,602.24 करोड़ का प्रोजेक्टेड संचित रेगुलेटरी सरप्लस है, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु टैरिफ दरों में वृद्धि के लिए कोई औचित्य नहीं पाया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ आदेश की अन्य प्रमुख विशेषताएं:

1. उत्तर प्रदेश सरकार लाइफलाइन उपभोक्ताओं (ग्रामीण एवं शहरी), ग्रामीण शेड्यूल्ड मीटर्ड उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूपों के लिए पूर्व वर्ष के समान स्तर पर सब्सिडी प्रदान करना जारी रखेगी। हालांकि, सब्सिडी सहायता गत वर्ष के रु. 17,100 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु. 20,400 करोड़ कर दी गई है।

2. एलएमवी-6 और एचवी-2 श्रेणी हेतु टीओडी समय अवधि गत वर्ष के समान ही बनी रहेगी।

3. ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को और अधिक युक्तिसंगत बनाते हुए कुछ श्रेणियों के लिए कम किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रोजेक्टेड औसत आपूर्ति लागत रु. 7.96/kWh है, जबकि औसत बिलिंग दर रु. 7.78/kWh प्रक्षेपित है।

5. ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के उभरते व्यवसाय मॉडलों को मान्यता देते हुए, आयोग ने बैटरी ऐज ए सर्विस (बीएएएस) और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को एलएमवी-11 श्रेणी के अंतर्गत सिंगल पार्ट टैरिफ हेतु पात्र श्रेणी के रूप में शामिल किया है। साथ ही, दिन के समय जब सस्ती सोलर पावर उपलब्ध होती है, उस दौरान चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ने एलएमवी-11 के लिए सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे) के दौरान 20% की छूट प्रदान करते हुए टीओडी टैरिफ संरचना लागू की है। आयोग को अपेक्षा है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताओं द्वारा यह छूट अंतिम उपभोक्ताओं को हस्तांतरित की जाएगी।

टैरिफ आदेश, लाइसेंसधारी द्वारा कम से कम दो हिंदी और दो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से सात दिन बाद प्रभावी होंगे।

सभी टैरिफ आदेश **www.uperc.org** पर अपलोड कर दिए गए हैं।

सुमीत कुमार अग्रवाल
सचिव

सुमीत कुमार अग्रवाल
सचिव
उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ–226010